रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2016/ज्येष्ठ 17, 1938
No. 178] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2016/JYAISTHA 17, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 7 जून, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : भारत में चीन जन गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'पेंटाएरिथ्रिटाल' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत

सं. 15/01/2016.—डीजीएडी: समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और स्वीडन (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पेंटाएरिथ्रिटाल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं.14/16/2004-डीजीएडी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। जाँच परिणाम के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 37/2006 दिनांक 20.04.2006 द्वारा संबद्ध देशों से आयातित संबंद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. प्राधिकारी ने दिनांक 26 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. 15/3/2010-डीजीएडी के द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत की। प्राधिकारी ने दिनांक 25 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 15/3/2010-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. से आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की और वित्त मंत्रालय ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर दिनांक 14 जून 2011 की अधिसूचना सं. 47/2011-सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था। तथापि, निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा स्वीडन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को हटा दिया गया था।

3. यत: सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) की शर्तों के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि उससे पहले न हटाया जाए तो उनके लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों के बाद वह निष्प्रभावी हो जाते हैं और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति होने की आशंका है। इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं ताकि इस बात की जाँच की जा सके कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहेगी या उनकी पुनरावृत्ति होगी ।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

4. यह याचिका मै. कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई है।

5. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक कंपनी का उत्पादन घरेलू उत्पादन का 'एक बड़ा हिस्सा' बनता है। अत: प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन संबंधित नियमों के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

6. संबद्ध देश से भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा उत्पाद पेंटाएरिथ्रिटाल है। पेंटाएरिथ्रिटाल एक कार्बनिक यौगिक जो अल्काइड रेजिन, रेजिन ईस्टर्स, प्लास्टिसाइजर्स, पिंटिंग इंक, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक के स्टैबलाइजर्स, मोडिफाइड ड्राइंग ऑयल, डेटोनेटर्स, एक्सप्लोसिव, फार्मास्यूटिकल्स, कोर ऑयल तथा सिंथेटिक ल्यूब्रिकेन्टस के विनिर्माण में पेंटा एरिथ्रिटाल तकनीकी ग्रेड अथवा नाइट्रोजन ग्रेड का हो सकता है और दोनों ग्रेड संबद्ध उत्पाद और प्रस्तावित जांच के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं ।

7. तथापि, उत्पादन प्रक्रिया मुख्य रूप से तकनीकी ग्रेड के उत्पादन में परिणत होती है। 2 प्रतिशत के कम उत्पाद से नाइट्रोजन ग्रेड बनता है जबकि डि-पेंटाएरिथ्रिटाल का उत्पादन 0.5 प्रतिशत से कम है । 97 प्रतिशत से अधिक उत्पादन तकनीकी ग्रेड का है । इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से तकनीकी ग्रेड का आयात किया जाता है । डि-पेंटाएरिथ्रिटाल और पेंटाएरिथ्रिटाल दो विभिन्नकिस्म के उत्पाद हैं । डि-पेंटाएरिथ्रिटाल संबद्ध उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर है ।

8. पेंटाएरिथ्रिटाल का सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 290542 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

9. यह उत्पाद जिस पर शुल्क पहले ही लागू है, की निर्णायक समीक्षा होने के कारण संबद्ध उत्पाद की परिभाषा वही है जो मूल जांच में उल्लिखित है ।

शामिल देश

10. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

11. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 और 8 के अनुसार किये जाने का प्रस्ताव किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश या ऐसे तीसरे देश से किसी अन्य देश को कीमतों या परिकलित मूल्य के आधार पर इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को संगत सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। अत: याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का निर्धारण कच्ची सामग्री (एथेनाल को छोड़कर) की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, एसआईओएन के अनुसार बेहतर खपत मानकों और घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत

12. याचिकाकर्ताओं ने भारत में संबद्ध आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए डी जी सी आई एंड एस से उपलब्ध सौदावार आयात आकड़ों को प्रस्तुत किया है। आयात कीमत के भारित औसत के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े और बैंक प्रभारों के लिए निर्यात कीमत को समायोजित किया गया है।

पाटन मार्जिन

13. याचिकाकर्ता ने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है, जिससे पाटनरोधीजाँच की निर्णायक समीक्षा शुरू किया जाना न्यायोचित सिद्ध होता है।

जाँच की शुरूआत

14. याचिका निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विहित ढ़ग और तरीके से की गई है और इसमें इस बात की समीक्षा करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि क्या शुल्क की अवधि समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवदेन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है, के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं।

जाँच अवधि

15. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जाँच अवधि (पीओआई) अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 तक की है और क्षति जाँच अवधि अप्रैल 12- मार्च 13, अप्रैल 13- मार्च 14, अप्रैल 14- मार्च 15 और जाँच अवधि की अवधियों के लिए है। तथापि, प्राधिकारी को अधिक अद्यतन आकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाने के लिए अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016 (12 महीने) को पीओआई के रूप में निर्धारित करने की सिफारिश की जाती है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जाँच अवधि की अवधियां शामिल होंगी। घरेलू उद्योग को पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना अथवा लागू शुल्क के जारी रहने दोनों को प्रमाणित करने संबंधी सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के

भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

<u>अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5)प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

<u>असहयोग</u>

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2016

Subject : Initiation of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty on import of Pentaerythritol originating in or exported from China PR in India.

No. 15/01/2016 – DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Pentaerythritol (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Sweden (hereinafter referred to as subject countries). The final findings notification of the Authority was published vide notification No. 14/16/2004-DGAD dated 02nd February, 2006 respectively. On the basis of the findings, definitive anti dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Department of Revenue vide Custom notifications No. 37/2006 dated 20.04.2006.

2. The Authority initiated sunset review investigations vide Notification No. 15/3/2010-DGAD dated 26th March 2010. The Authority recommended continued imposition of definitive anti dumping duties on imports from China PR vide notification No.15/3/2010-DGAD, dated the 25th March, 2011 and Ministry of Finance imposed definitive anti-dumping duty vide notification No. 47/2011-Customs, dated the 14th June, 2011 on all imports of subject goods originating in or exported from China PR. However, anti dumping duties on imports from Sweden were revoked by the Authority in the sunset review

3. Whereas in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard, the Designated Authority hereby initiate sunset review in accordance with section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Domestic Industry & Standing

4. The petition has been filed by M/s. Kanoria Chemicals and Industries Limited.

5. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes "a major proportion" of the domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Product under consideration

6. The product being dumped in the Indian market from the subject country is Pentaerythritol. Pentaerythritol is an organic compound which finds application in manufacture of Alkyd Resin, Rosin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, Stabilizers for Plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core oils and Synthetic Lubricants. Pentaerythritol can be of technical grade or nitration grade and both grades are included within the scope of product under consideration and proposed investigation.

7. The production process, however, largely results in production of Technical Grade. Less than 2% production results in nitration grade, while the production of Di-pentaerythritol is less than 0.5%. More than 97% production is of technical grade. The imports are primarily in technical grade. Di-Pentaerythritol and Pentaerythritol are two different kinds of products. Di-Pentaerythritol is beyond the scope of the product under consideration.

8. Pentaerythritol is classified under Customs sub heading no. 290542 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. However, Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the investigation.

9. This being a Sunset Review of the product on which duty is already in force, the definition of the Product under consideration is the same as mentioned in the original investigation.

Countries involved

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR.

Normal Value

11. The petitioners have claimed that China PR should be treated as a nonmarket economy country and have proposed determination of normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. The petitioners have claimed that normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country or price from such third countries to other countries for the reason that the relevant information is not accessible to the petitioners. Petitioner has, therefore, determined normal value on the basis of cost of production in India, by considering the international prices of basic raw materials (except ethanol), best consumption norms and conversion cost of the domestic industry, duly adjusted for selling, general and administrative expenses. The normal value has, thus, been determined based on cost of production in India, duly adjusted.

Export Price

12. The Petitioners have submitted the DGC&IS transaction-wise import information to assess the volume and value of the subject import in India. Export price has been determined on the basis of weighted average of the import price. Export price has been adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Port Expenses, Inland Freight and Bank Charges to arrive at the net export price.

Dumping Margin

13. The Petitioner has provided evidence that the normal values of the subject goods in the subject country are significantly higher than the net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify sunset review initiation of an antidumping investigation.

Initiation

14. The petition is in the form and manner prescribed by the Designated Authority and contains prima facie evidence to review as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Thus, in view of the duly substantiated application filed by the domestic industry and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a Sunset Review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to examine as to whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

15. The Period of Investigation (POI) proposed by the applicant is from April 2015 to December 2015 and the injury investigation period is for the periods, Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15 and the Period of Investigation. However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, it is recommended to determine the POI as April 2015 to March 2016 (12 Months). The injury investigation period will however, cover the periods 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI. The domestic industry is required to submit information on likelihood of continuance or recurrence of dumping or injury or both substantiating the need for continuation of duty in force.

Submission of information

16. The known exporters in the subject country, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,

Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,

New Delhi -110001.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Additional Secretary & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.